न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 13/25 दायरा दिनांक 24.04.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रमेश पुत्र दलसिंह जाति भील निवासी कालामाल निवाडी तहसील शाहावाद जिला–बारां राजस्थान वादी

बनाम

1–मालती पुत्री मांगीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

2–सरवन पुत्र कजोड जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

3–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188 आर0टी0एक्ट

<u>निर्णय दिनांक– 26.08.2025</u>

उपस्थित –

वादी की ओर से – श्री के.एस. यादव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम निवाडी तहसील शाहावाद जिला–बारां में ख0नं0 317/5 रकबा 5.00 बीघा स्थित है। उक्त भूमि में वादी वहेसियत काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि में वादी के अलावा प्रतिवादीक्रम 1 व 2 अथवा अन्य किसी का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि में प्रतिवादीक्रम 1 व 2 का कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित भूमि के आसपास भी प्रतिवादीक्रम 1 व 2 की कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादीक्रम 1 व 2 झगडालू किसम के व्यक्ति हैं, जो जबरन वादी की विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 25.12.2024 को प्रतिवादीक्रम 1 व 2 अपने साथ ट्रेक्टर लेकर आये वादी की खडी फसल गेहूं में ट्रेक्टर लेकर घुस गये और हंकाई करने का प्रयास किया वादी ने बमुश्किल रोका। प्रतिवादीक्रम 1 व 2 ने धमकी दी है कि हमउ क्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादीक्रम 1 व 2 के उक्त कृत्य से वादी के ह[illegible] को भारी आसन्न संकट पैदा हो गया है। वादी को प्रतिवादीक्रम 1 व 2 के विरुद्ध [illegible]षेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। वादक[illegible] को उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीक्रम 3 सर्वोच्च भूमिधारी होने से [illegible] वाद क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होकर उचित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः प्र[illegible]म 1 व 2 को स्थायी [illegible]ज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि ख0नं0 317/5 रकबा 5.00 बीघ[illegible] निवाडी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:45 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपसिथत रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से स्वयं वादी के बयान कराये गये और नकल़ जमाबंदी ग्राम निवाडी सम्वत 2070–73 को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्श कराया गया।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 317/5 रकबा 5.00 बीघा का वादी रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से वादपत्र के तथ्यों का कोई खण्डन नहीं हो पाया है और वादी का वाद एकपक्षीय प्रमाणित होना पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खाते की आराजी ख0नं0 317/5 रकबा 5.00 बीघा ग्राम निवाडी के बावत वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:45 IST
Reason: SelfAttested